

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847

क्रमांक:एफ20(101)आयो/आकाशि/2024-25/बजट घोषणा नवीन महा.-00088 / दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

:-आदेश:-

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में खोले गये 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नवीन फर्नीचर, नवीन कम्प्यूटर मय प्रिन्टर क्रय करने एवं संचालन हेतु आवंटित अस्थाई भवनों की टूट-फूट मरम्मत एवं रंगरोगन, अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु प्रति महाविद्यालय निम्नानुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	बजट मद	मद विवरण	स्वीकृत राशि
1	2202-03-103-02-00-05, कार्यालय व्यय (20 सहशिक्षा एवं 04 कृषि)	विद्यार्थियों के टेबल-कुर्सी	2200/-प्रति सेट
		महाविद्यालयों के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय एवं स्टाफ हेतु फर्नीचर	1,00,000/-प्रति महाविद्यालय
2	2202-03-103-02-00-62, कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधित संचार व्यय (20 सहशिक्षा एवं 04 कृषि)	01 कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	80,000/- प्रति महाविद्यालय
3	2202-03-103-02-00-05, कार्यालय व्यय (20 सहशिक्षा एवं 04 कृषि)	अस्थायी राजकीय भवनों की टूटफूट, मरम्मत, रंगरोगन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु	20,000/-प्रति महाविद्यालय
4	2202-03-103-03-00-05, कार्यालय व्यय (13 कन्या महाविद्यालय)	विद्यार्थियों के टेबल-कुर्सी	2200/-प्रति सेट
		महाविद्यालयों के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय एवं स्टाफ हेतु फर्नीचर	1,00,000/-प्रति महाविद्यालय
5	2202-03-103-03-00-62, कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधित संचार व्यय (13 कन्या महाविद्यालय)	01 कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	80,000/- प्रति महाविद्यालय
6	2202-03-103-03-00-05, कार्यालय व्यय (13 कन्या महाविद्यालय)	अस्थायी राजकीय भवनों की टूटफूट, मरम्मत, रंगरोगन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु	20,000/-प्रति महाविद्यालय

यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि नवीन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों, वर्तमान अस्थायी भवन के कक्ष एवं उनमें उपलब्ध फर्नीचर तथा कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों की संख्या आदि के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय की आवश्यकता का आकलन करते हुए बजट उपभोग किया जावे, साथ ही इन महाविद्यालयों को स्थाई भवन उपलब्ध होने पर उक्त फर्नीचर/कम्प्यूटर को स्थाई भवन में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प.6(32)शिक्षा/युप-3/2024-04464 दिनांक 04.11.2024 एवं वित्त विभाग की आईडी संख्या 152402167 दिनांक 25.10.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

—हस्ताक्षरित—

(प्रो. शोभाराम शर्मा)

संयुक्त निदेशक, आयोजना

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (युप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, संबंधित जिला।
- संबंधित नोडल, राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवंटित बजट का उपभोग कर नवीन महाविद्यालयों की आवश्यकतानुसार फर्नीचर/कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जाना एवं अस्थाई भवन की टूटफूट, मरम्मत, रंगरोगन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करके सूचित।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Shobha Ram Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.11.11 16:56:49 IST
Reason: Approved